[17/3/2020]

प्रश्न सं. [क्र. 191]

लोक अभियोजन संचालनालय मध्यप्रदेश,
भदभदा रोड भोपाल, पिनकोड–462003
कार्यालय का दूरभाष नं.0755–2775764,2771806 फैक्स नं. 0755–2671707,
ईमेल– ppofficebho@mp.gov.in

क्रमांक / लोक.अभि.संचा. / शिकायत / 548 /2020 भोपाल, दिनांक 28 / 02 / 2020

प्रति,

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।

विषय :– श्री कमलेश शर्मा, सहायक अधीक्षक, संचालनालय लोक अभियोजन भोपाल को पद सहित भोपाल को पद सहित भोपाल संभाग से बाहर स्थानांतरण करने बाबत् ।

सन्दर्भ:– गृह विभाग का पत्र क्रमांक 2567 / 4112 / 2019 / बी–4 / दो, दिनांक 09.07.19

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्र दिनांक 25.06.19 के द्वारा श्री प्रकाश चौकसे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित शिकायत प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही / जॉच कर जॉच प्रतिवेदन शीघ्र भेजने के निर्देश प्राप्त हुये थे।

इस संबंध में सर्वप्रथम शिकायत की जॉच किये जाने हेतु सहायक संचालक, संचालनालय लोक अभियोजन भोपाल को प्रारंभिक जॉच किये जाने हेतु निर्देशित किया था। इस संबंध में शिकायतकर्ता श्री प्रकाश चौकसे को संचालनालय से 02 बार पत्र दिनांक 04.09.19 एवं पत्र दिनांक 17.09.2019 के माध्यम से संचालनालय में उपस्थित होने हेतु सूचना दी गई थी । श्री चौकसे कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए एवं श्री चौकसे ने अपने पत्र दिनांक 14.10.2019 के माध्यम से सूचित किया कि शिकायतकर्ता विभाग / संचालनालय से जॉच नहीं कराना चाहता । अतः पुनः जिला लोक अभियोजन अधिकारी विदिशा को संचालनालय के पत्र क्रमांक लो.अभि.संचा. / 54 / शिका. / 6613 / 2018 दिनांक 07.11.2019 के माध्यम से जॉच किये जाने हेतु पत्र लिखा गया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी विदिशा द्वारा भी संबधित शिकायतकर्ता श्री प्रकाश चौकसे को पत्र दिनांक 29.11.2019, पत्र दिनाक 06.12.2019, 14.12.2019, 03.01.2020 अंतिम अवसर देते हुए कथन हेतु उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया, परंतु श्री चौकसे वहाँ भी उपस्थित नहीं हुए। जिला लोक अभियोजन अधिकारी विदिशा ने अपने जॉच प्रतिवेदन में सूचित किया है कि शिकायतकर्ता, कथन अथवा दस्तावेज पेश करने हेतु उपस्थित नहीं हो रहे है एवं प्रकरण में आगामी कार्यवाही करना न्यायोचित प्रतीत न होने संबंधी प्रकरण मूलतः संचालनालय को प्रेषित किया गया।

प्रकरण में श्री कमलेश शर्मा, सहायक अधीक्षक के विरूद्ध वैमनस्यता के भाव को लेकर मिथ्या एवं आधारहीन शिकायत की जा रही है इसे दृष्टिगत रखते हुए शिकायत आधारहीन होने से नस्तीबद्ध की गयी है । जानकारी सादर प्रेषित है ।

संलग्नः– जॉच प्रतिवेदन

अनुभाग अधिकारी
गृह (पुलिस) विभाग
(बी–4)
मंत्रालय, भोपाल

(पुरुषोत्तम शर्मा)
भापुसे
महानिदेशक / संचालक
लोक अभियोजन,मध्यप्रदेश
भोपाल

(54)

जॉच प्रतिवेदन का निष्कर्ष

विषय :— श्री कमलेश शर्मा, सहायक अधीक्षक, संचालनालय लोक अभियोजन भोपाल को पद सहित भोपाल को पद सहित भोपाल संभाग से बाहर स्थानांतरण करने बाबत् ।

सन्दर्भ:— गृह विभाग का पत्र कमांक 2567/4112/2019/बी–4/दो. दिनांक 09.07.19

— — —

उपरोक्त विषय में गृह विभाग से संदर्भित प्राप्त पत्र के द्वारा श्री प्रकाश चौकसे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित शिकायत प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही/जॉच कर जॉच प्रतिवेदन शीघ्र भेजने के निर्देश प्राप्त हुये थे।

इस संबध में सर्वप्रथम शिकायत की जॉच किये जाने हेतु सहायक संचालक, संचालनालय लोक अभियोजन भोपाल को प्रारंभिक जॉच किये जाने हेतु निर्देशित किया था। इस सबध में शिकायतकर्ता श्री प्रकाश चौकसे को संचालनालय से 02 बार पत्र दिनांक 04.09.19 एव पत्र दिनांक 17.09.2019 के माध्यम से संचालनालय में उपस्थित होने हेतु सूचना दी गई थी । श्री चौकसे कार्यालय में उपस्थित नही हुए एवं श्री चौकसे ने अपने पत्र दिनांक 14.10.2019 के माध्यम से सूचित किया कि शिकायतकर्ता विभाग/संचालनालय से जॉच नहीं कराना चाहता । अतः पुनः जिला लोक अभियोजन अधिकारी विदिशा को संचालनालय के पत्र कमांक लो.अभि.संचा./54/शिका./6613/2018 दिनाक 07.11.2019 के माध्यम से जॉच किये जाने हेतु पत्र लिखा गया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी विदिशा द्वारा भी संबधित शिकायतकर्ता श्री प्रकाश चौकसे को पत्र दिनांक 29.11.2019, पत्र दिनांक 06.12.2019, 14.12.2019, 03.01.2020 अंतिम अवसर देते हुए कथन हेतु उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया, परंतु श्री चौकसे वहॉ भी उपस्थित नहीं हुए। जिला लोक अभियोजन अधिकारी विदिशा ने अपने जॉच प्रतिवेदन मे सूचित किया हैं कि शिकायतकर्ता, कथन अथवा दस्तावेज पेश करने हेतु उपस्थित नही हो रहे है एव प्रकरण मे आगामी कार्यवाही करना न्यायोचित प्रतीत न होने संबधी प्रकरण मूलतः संचालनालय को प्रेषित किया गया।

प्रकरण मे श्री कमलेश शर्मा, सहायक अधीक्षक के विरूद्ध वैमनस्यता के भाव को लेकर मिथ्या एवं आधारहीन शिकायत की जा रही है । इसे दृष्टिगत रखते हुए शिकायत आधारहीन होने से नस्तीबद्ध किए जाने की अनुशंसा की जाती है ।

28.2.20

उप–संचालक

अनुभाग अधिकारी
गृह (पुलिस) विभाग
(बी–4)
मंत्रालय, भोपाल

संचालक